न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - हिमतसिंह आर.ऐ.अस.

प्रार्थना पत्र सं. 128/2019

निर्णय दिनांक 29.05.2019

मोहनलाल पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी खेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान एडवोकेट वास्ते - प्रार्थी

2.पैरोकार राज - राज्य की ओर से

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पैश किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 347/206 तादादी 3.2000 हेक्टेयर रोही खेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है, यहि विवादित कृषि भूमि है वास्ते मुलाहिजा जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 संलग्न प्रार्थना पत्र हैं, प्रार्थी अकेला विवादित कृषि भूमि का खातेदार कास्तकार हैं, विवादित कृषि भूमि पुर्व में संयुक्त खातेदारी का भाग रही है व सह खातेदारान के मध्य विभाजन में प्रार्थी के हक हिस्सा में आई है मगर खाता विभाजन के बाद पैमाइश कर मोके पर सीमाओं की पुख्ता सीमा चिन्ह कायम नहीं किये गये जिस कारण पुख्ता सीमा चिन्ह के अभाव में वर वक्त काश्त प्रार्थी का पड़ोसियों से विवाद होता है जिस कारण प्रार्थी विवादित कृषि भूमि को शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग में नहीं ले पा रहा है । प्रार्थी ने इस विवाद के निस्तारण के लिये अप्रार्थी के यहां पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र पैश किया मगर अप्रार्थि ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी) करने से स्पष्ट इनकार कर दिया जिस कारण विवादित कृषि भूमि की अनुभवी कर्मचारियों की टीम से पैमाइश करवा

उपखण्ड अधिकारी

कर चारों तरफ की सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाई जानी आवश्यक हो गई है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पैश किया जाना आवश्यक हो गया है, विवादित कृषि भूमि अदालत वाला के अधिक्षेत्र में स्थित है तथा पत्थर गढ़ी के आदेश पारित करने कि अधिकारिता अदालत वाला में निहित है जिस कारण अदालत वाला को प्रार्थना पत्र हाजा हेतु श्रवनाधिकार हासिल है आदि आदि पैश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सशुल्क तलब किया गया, अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये जिन्होंने प्रार्थना पत्र में कोई राज्य हित नहीं होना जाहिर किया ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का खातेदार कास्तकार है तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार सह खातेदारान के मध्य विभाजन के बाद भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है जिस कारण सीमा को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद रहता है ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि की पुख्ता सीमा चिन्ह से पैमाइश की जाकर सीमाओं पर पत्थर गढ़ी करवाई जानी न्यायोचित है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि वह विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 347/206 तादादी 3.2000 हेक्टेयर रोही खेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू की अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर पैमाइश करवाये व चारों तरफ की सीमाओं की पत्थर गढ़ी करावे । आदेश की पालना हेतु परवाना जारी किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)